



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 28, सोमवार, शाके 1941-फरवरी 17, 2020
Magha 28, Monday, Saka 1941-February 17, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 16, 2020

एस.ओ.171 :-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार, यह राय रखते हुये कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है एतद् द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (8) के अन्तर्गत जारी अनुज्ञापत्रों पर दिनांक 17.02.2020 से 07.03.2020 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने/जाने वाले समस्त यात्री वाहनों के लिये 7,000/- रुपये से अधिक उन करों का परिहार करती है जो राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के वाहनों पर देय है

[संख्या एफ.6(96)/परि/कर/मु./उर्स/10/3644]

राज्यपाल के आदेश से,
महेन्द्र कुमार खींची,
संयुक्त शासन सचिव।